

V

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया व. हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत	साताना	बकाया				हाल (2017-2018)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष (2016-2017)	
माल (नकदी)	0.25				0.25	0.25
गुजारी (भावली)	0.06				0.06	0.06
सैन	0.12				0.12	0.12
सूद	0.12				0.12	0.12
मुतफरकत	0.05				0.05	0.05
मीजान	0.60				0.60	0.60

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत	साताना	बकाया				हाल (2017-2018)	काजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष (2016-2017)		
माल (नकदी)					0.25	0.25	
गुजारी (भावली)					0.06	0.06	
सैन					0.12	0.12	
सूद					0.12	0.12	
मुतफरकत					0.05	0.05	
मीजान अदायकारी					0.60	0.60	

(१) मीजान कुल (तफसील में) : One Rupees and Twenty Paise

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया - 1.20

तारीख अनला तहसील कुन्दिना : 11-05-2017

उक्त महाल का बकाया नालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



Sagar Singh

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।  
यह प्रपत्र केवल प्रा. की जानकारी के लिए है।  
इसका उपयोग किर. भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।  
किसी भी प्रकार की शिकायतों के लिए सम्बन्धित अधिकारी से संपर्क करें।

# JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 378025210718105453

Date : 21-07-2018

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री : SANJEEV SALUJA S/O LATE, GURUBACHAN SIINGH,

मोहल्ला : STATION ROAD JHANDA CHOWK, JHUMRI TELAIYA  
KODERMA , 825409  
7004274675

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0150000381000M0 वार्ड सं. 15 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	20.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		20.00



*Sanjeev Saluja*

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, [www.jharkhandsuda.net](http://www.jharkhandsuda.net) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।

Case No./YearSession : 59/2018 - 2019  
 Case Status : Disposed off  
 Receipt Date of Application : 15-May-2018  
 Allocated Date for Demarcation : ~~29/05/2018~~  
 Forward by CO : ASHOK RAM 15-May-2018  
 Verified by Karmchari : HAREKRISHNA PRASAD 16-May-2018  
 Verified by CI : NARESH KUMAR VERMA 22-May-2018  
 Verified and forward to ameen by CO : ASHOK RAM 22-May-2018  
 Ameen Report Status : Done ✓

SANJEEVSALUJA

LATE GURUBACHAN  
SINGHWARD NO 09, NEAR  
HANUMAN MANDIR,  
KODERMA

Area	Plot No	Area	Plot No	Area
कोडरमा' तिलैया	कोडरमा सदर	हल्का-2A	850	7518/7904
				0 एकड 1 डिसमील 0 हेक्टर

37\_27\_1527099432

899.30

SUCCESS



*Sajus Sahyl*